उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–2
संख्याः– 1647 / XI / 21 / 56(43)2021
देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 95 विकास खण्डों में ILSP एवं USRLM के समूहों के साथ ग्रामीण उद्यमों की स्थापना हेतु 'ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP)' के भारत सरकार एवं IFAD द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन / संचालन तथा वित्तीय / प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिनिधायन हेतु निम्नानुसार High Power Committee/Streering Committee निम्नानुसार गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

1. **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन** — **अध्यक्ष।**
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग — सदस्य।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य।
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग — सदस्य।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि, उद्यान, पशुपालन तथा वन एवं जलागम विभाग — सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव ग्राम्य विकास — सदस्य।
7. परियोजना निदेशक, UGVS-REAP — सदस्य।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास — सदस्य।
9. **मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP** — **सदस्य सचिव।**

2– उपर्युक्तानुसार गठित HPC/Streering Committee की बैठक यथासम्भव प्रत्येक माह से पहले एवं तीसरे बुधवार को आहूत की जायेगी।

3– परियोजना के क्रियान्वयन / संचालन हेतु उक्तानुसार गठित HPC/Streering Committee के अधिकार एवं दायित्व वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–86 / XXVII(7)36 / 2010–11 / 2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 के अनुसार होंगे।

भवदीय,

एस.ए. मुरूगेशन
सचिव

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, DEA, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
2. Country Director Asia and Pacific Division Programme Management Department UN House, New Delhi.
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त / नियोजन / कार्मिक / कृषि / उद्यान / पशुपालन / वन / जलागम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, UGVS-REAP, देहरादून।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
7. परियोजना निदेशक, UGVS-REAP, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव